उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 27 फाल्गुन, शक संवत्, 1936
(दिनांक : 18 मार्च, 2015)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख" तथा "ग"**)

3. निधन के निदेश।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलौंना को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री महेश सिंह नेगी, निवासी ग्राम व पो0 बिलौंना, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के डाक (ढोलगाँव) में गोमती नदी पर रानीकोट नामक स्थान में 72 मीटर पुल की स्वीकृति कराने के सम्बन्ध में" श्री गिरीश सिंह रावल, निवासी ग्राम डाक (ढोलगाँव) पो0 फल्याटो, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के ग्राम छानी सेरा (नैकाना खुमाटिया) के कालार बेगांव तोक में 72 मीटर पुल की स्वीकृति कराने के सम्बन्ध में" श्री कुन्दन लाल, निवासी ग्राम नेकाना खुमाटिया, पो0 सलानी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के ओखली सिरौंद कन्या जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री बसन्त सिंह, निवासी ग्राम गहरी गाड, पो0 काफलीगैर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के कन्या जूनियर हाईस्कूल खाँकर का हाईस्कूल में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री मोती राम, निवासी ग्राम व पो0 खाँकर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा एटनबाग के मजरा फतेपुर ग्राण्ट में सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम सभा एटनबाग के मजरे फतेहपुर ग्राण्ट, पो0 हरबर्टपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा लखनवाला नेवट में सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सभा लखनवाला, पो0 जस्सोवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम पंचायत बैरागीवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मौहरम अली, निवासी ग्राम पंचायत बैरागीवाला, पो0 जस्सोवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम पंचायत बुलाकीवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कासिम, निवासी ग्राम पंचायत बुलाकीवाला, पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के मजरा जमनीपुर तप्पड़ में सिंचाई नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री नत्थूराम राणा, निवासी ग्राम सभा जमनीपुर के मजरा जमनीपुर तप्पड़, पो0 जमनीपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला में सिंचाई नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कबूल चन्द, निवासी ग्राम सभा बैरागीवाला, पो0 जस्सोवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

17. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

18. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

19. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।

21. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"घ"**)

22. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

23. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1 श्री अजय भट्ट 2. श्री तीरथ सिंह रावत 3. श्री हरबंस कपूर 4. श्री बंशीधर भगत 5. श्री हरभजन सिंह चीमा 6. श्री अरविन्द पाण्डे 7. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 8. श्री गणेश जोशी 9. श्री पुष्कर सिंह धामी 10. डा0 प्रेम सिंह राणा 11. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 12. स्वामी यतीश्वरानन्द 13. श्री दलीप रावत 14. श्री पूरन सिंह फर्त्याल 15. श्री दान सिंह भण्डारी	"उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015" को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

24. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

25. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1 श्री अजय भट्ट 2. श्री तीरथ सिंह रावत 3. श्री हरबंस कपूर 4. श्री बंशीधर भगत 5. श्री हरभजन सिंह चीमा 6. श्री अरविन्द पाण्डे 7. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 8. श्री गणेश जोशी 9. डा0 प्रेम सिंह राणा 10. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 11. स्वामी यतीश्वरानन्द 12. श्री दलीप रावत 13. श्री पूरन सिंह फर्त्याल 14. श्री दान सिंह भण्डारी	"उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015" को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

26. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आमोंद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

27. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संशोधन का रूप</u>
1 श्री अजय भट्ट 2. श्री तीरथ सिंह रावत 3. श्री हरबंस कपूर 4. श्री बंशीधर भगत 5. श्री हरभजन सिंह चीमा 6. श्री अरविन्द पाण्डे 7. श्री चन्दन राम दास 8. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 9. श्री गणेश जोशी 10 डा0 प्रेम सिंह राणा 11. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 12. श्री संजय गुप्ता 13. स्वामी यतीश्वरानन्द 14. श्री दलीप रावत 15. श्री पूरन सिंह फर्त्याल 16. श्री दान सिंह भण्डारी	"उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015" को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

28. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

29. वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

30. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 17 मार्च, 2015

प्रथम सत्र, 2015
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 27 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 18 मार्च, 2015)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री हरबंस कपूर 02.03.2015	**क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के कुल कितने चौराहों के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई थी ? क्या सभी चौराहों का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शहरी विकास**

नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रथम सत्र 2015 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 13.11.2014	*01. क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि सरकार के बारह (12) विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के समानुपात आधार पर पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक (एम) के वेतनमान एवं ग्रेड वेतन को अन्य राजकीय कर्मचारी की भांति दिनांक 01–01–2006 से संशोधित/उच्चीकृत कर निरीक्षक का रू0 4,800/– उपनिरीक्षक का रू0 4,600/– एवं सहायक उपनिरीक्षक (एम) रू0 4200/– किये जाने का प्रावधान किया गया है ? क्या जनहित में सरकार पुलिस विभाग को भी राज्य कर्मचारी के समान वेतनमान 01–01–2006 से संशोधित/उच्चीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**गृह**

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

श्री ललित फर्स्वाण
18.02..2015

*01. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के बीच जनपद–बागेश्वर में वृक्षारोपण हेतु वन पंचायतों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वृक्षारोपण का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो वृक्षारोपण की सफलता का प्रतिशत क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **वन**

श्री ललित फर्स्वाण
18.02..2015

*02. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में तहसीलदार/नायब तहसीलदारों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिकांश पद रिक्त है ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि तहसीलदार/नायब तहसीलदारों के पदों पर पदोन्नति की मण्डलायुक्तों की प्रशासनिक शक्ति खत्म कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या स्थानीय व्यवस्था के तहत मण्डलायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां बहाल करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **राजस्व**

श्री पूरन सिंह फर्त्याल
18.02..2015

*03. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2005 से वर्तमान तक कितनी सिंचाई गूलों का निर्माण कार्य कराया गया है और उनके निर्माण कार्य में कितनी लागत व्यय हुयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन गूलों का निर्माण कार्य हो चुका है क्या उन सभी गूलों से सिंचाई हो रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कारण सहित विस्तृत विवरण सदन के पटल पर उपलब्ध करायेंगे ? **लघु सिंचाई**

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
18.02..2015

*04. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों को स्थानीय उत्पादन जैसे रीठा, आंवला, हरड़, बैहड़, गिलोय, धोल के फूल इत्यादि को विक्रय करने पर रवन्ना की बाध्यता है ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि इसके लिये कृषक को अपना पंजीकरण गोपेश्वर व सेलाकुई में जाकर कराना पड़ता है ? तत्पश्चात रेंज कार्यालय व जिला वनाधिकारी कार्यालय से निकासी हेतू स्वीकृति मिलती है और इस लम्बी प्रकिया हेतु किसान कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाकर परेशान होते हैं और स्थानीय उत्पादन खेतों में नष्ट हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई आसान नीति बनाकर किसानों को स्थानीय उत्पादकों के लिये विक्रय हेतु स्वतंत्रता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? **वन**

श्री गणेश जोशी
19.02..2015

*05. क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि राज्य की कानूनी व्यवस्था दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपराधियों की धड़पकड़ एवं रोकथाम के लिए राज्य की सीमाओं पर विशेष सर्तकता एवं निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **गृह**

श्री पूरन सिंह फर्त्याल
19.02..2015

*06. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय पॉलिटेक्निक एवं अन्य मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययन हेतु राज्य के प्रतिभावान सामान्य श्रेणी के गरीब वर्ग के छात्र/छात्रायें जो पॉलिटेक्निक इत्यादि संस्थानों का शुल्क अदा करने में असमर्थ हैं को तकनीकी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 वर्ग के छात्र/छात्राओं की भांति छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने संबंधी राज्य सरकार द्वारा कोई योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो योजना का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन गरीब वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा

श्री बिशन सिंह चुफाल
19.02..2015

*07. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत वर्ष 2012 मार्च से वर्ष 2015 तक राज्य योजना व जिला योजना की कुल कितनी सड़कें हैं जिनकी वन भूमि की विधिवत स्वीकृति मिली है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी सड़कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली है तथा कितनी सड़कें शासन में लम्बित पड़ी हैं ?

वन

श्री ललित फर्स्वाण
19.02..2015

*8 क्या वन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय जनपदों के निवासियों को वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से हक हकूक के इमारती पेड ब्रिटिश काल से प्रदान किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि यह व्यवस्था बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या पर्वतीय जनपदों के निवासियों के लिए सरकार पूर्व व्यवस्था को पुनः बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्रीमती विजय बड़थ्वाल
19.02..2015

*9 क्या ग्रामीण विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में 500 जनसंख्या वाले गावों में कितनी सड़कें पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत बन कर लोकार्पित की गई है और कुल कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माणाधीन सड़कों पर निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति कब तक प्राप्त कर ली थी तथा निर्माण कार्य में देरी के क्या कारण हैं ? क्या सरकार निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण विकास

श्री नवप्रभात
20.02..2015

*10 क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2006–07 में जिलाधिकारी देहरादून को चकराता, कालसी विकास खण्ड में पी0डी0एस0 के खाद्यान्न को एस0जी0आर0वाई0 के खाद्यान्न में प्रयोग किये जाने की कोई शिकायत मिली थी ? यदि हां, तो शिकायत का विवरण क्या है तथा शिकायत की जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? क्या किसी अधिकारी से प्रकरण में कोई वसूली की गयी ? क्या इस प्रकरण में पुनः कोई जांच आदेशित किये गये ? यदि हां, तो कब ?

खाद्य

श्री मालचन्द 20.02..2015	*11	क्या वन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला एवं मोरी के पर्वतीय क्षेत्रों में भेड बकरी पालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है एवं आजीविका का मुख्य साधन है ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि शीतकाल के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के भेड बकरी पालकों को मसूरी वन प्रभाग एवं कालसी वन प्रभाग के जंगलों में चरान–चुगान हेतु वन विभाग द्वारा चरान–चुगान का अस्थायी परमिट लेने में अत्यन्त कठिनाई होती है ? क्या वन विभाग पर्वतीय क्षेत्रों के भेड बकरी पालकों को शीतकाल में स्थायी परमिट जारी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री हीरा सिंह बिष्ट 20.02..2015	*12	**मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।** क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में गोल्डन फारेस्ट नामक कम्पनी की कितनी भूमि है और उसकी वैधानिक स्थिति क्या है ? क्या मा0 न्यायालयों से इस संबंध में कोई आदेश पारित हुए हैं यदि हां, तो वे क्या हैं तथा क्या उनका शत–प्रतिशत पालन सरकार द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	**राजस्व**
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 20.02..2015	*13	क्या वन मंत्री अवगत हैं कि रायवाला/प्रतीतनगर, गौहरी माफी, खाडगांव में गुलदार व हाथी द्वारा जनहानि की गई है व इसके अतिरिक्त देहरादून से ऋषिकेश मार्ग के मध्य जंगल से गुजरते राहगीरों पर हाथियों द्वारा आक्रमण किया गया है जिससे उन्हे जान गंवानी भी पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 20.02..2015	*14	क्या सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश के अन्तर्गत चकजोगीवाला, साहबनगर में सौंग नदी से बाढ से किसानों की जमीनें कट रही है व गांव की सुरक्षा भी खतरे में है ? यदि हां, तो सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण**
श्री आदेश चौहान 21.02..2015	*15	क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 168 का उल्लंघन किये जाने वाले विक्रय पत्रों को विधि मान्य किये जाने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या 98/118(1)2007 की समय सीमा बढाने की मांग लम्बे समय से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिसूचना की समय सीमा बढाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**
श्री यतीश्वरानन्द 24.02..2015	*16	क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम कांगडत्री, गाजीवाली, श्यामपुर, सजनपुरा, सजनपुर बाहरपीली, टांटवाला आदि गावों में हर वर्ष अत्यधिक बाढ आने के कारण काफी मात्रा में कृषि की भूमि का कटान होता है और अत्यधिक किसानों की भूमि हर वर्ष गंगाजी की चपेट में आकर बह जाती है ? यदि हां तो उक्त गावों की बाढ सुरक्षा हेतु क्या सरकार स्थाई कार्य कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 24.02..2015	*17 **स्थगित।** क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के विकास खण्ड सहसपुर की ग्राम पंचायत चन्द्रबनी के निवासीगण जो ग्राम पंचायत के अन्तर्गत लगभग 70–75 वर्षों से निवास कर रहे हैं और कृषि योग्य भूमि का भी उपभोग कर रहे हैं ? क्या उक्त परिवारों को सरकार के स्तर से मालिकाना हक दिलवाये जाने हेतु कोई कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 24.02..2015	*18 क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के विकास खण्ड सहसपुर की ग्राम पंचायत चन्द्रबनी वर्ष 2014 में अलग ग्राम पंचायत बनी है ? क्या सरकार के स्तर से इस ग्राम पंचायत के सीमांकन हेतु कोई कार्यवाही प्रस्तावित हे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज
श्री नवप्रभात 24.02..2015	*19. **आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।** क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने जिलों में स्वैच्छिक चकबंदी योजना लागू है तथा स्वैच्छिक चकबंदी के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन ग्रामों की अधिसूचना जारी होने की तिथि क्या है और इस योजना से कितने परिवार लाभान्वित किये जा चुके हैं ?	राजस्व
श्री महावीर सिंह रांगड़ 24.02..2015	*20. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 अन्त्योदय तथा अन्नापूर्णा कार्डधारक हैं तथा क्या प्रति परिवार खाद्यान्न उपलब्धता पूर्व की भांति न हो पाने के कारण अधिकांश परिवार परेशान हैं ? क्या सरकार खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल के संकट को समाप्त करने के लिए कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

अतारांकित प्रश्न

श्री पुष्कर सिंह धामी 18.02.2015	1. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत वनवसा स्थित शारदा नहर के पुनर्निर्माण हेतु उत्तर प्रदश सरकार से वार्ताकर कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक कार्य योजना अमल में लायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री पुष्कर सिंह धामी 18.02.2015	2. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खटीमा के बनबसा स्थित शारदा नहर से नेपाल की ओर जाने वाले 80 वर्ष पुराने जीर्णशीर्ण बैराज के कभी भी टूटने के कारण उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में होने वाली जन हानि एवं भारी तबाही के आशंका के दृष्टिगत नया बैराज बनाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो जीर्ण शीर्ण बैराज का पुनर्निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ?	सिंचाई

श्री ललित फर्स्वाण 18.02.2015	3. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत सरयू नदी की सहायक नदियों से खातीगांव, तलीहाट, मण्डलसेरा की बाढ सुरक्षा योजनाओं हेतु वर्ष 2013–14 में रू0 1009.68 मे स्वीकृत की गई है ? क्या मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञान में है कि स्वीकृत योजना हेतु शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो योजना हेतु स्वीकृत धनराशि कब तक अवमुक्त होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री ललित फर्स्वाण 18.02.2015	4. क्या विधि एवं न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नवसृजित तहसीलों में स्थानीय आवश्यकतानुसार नोटरी पब्लिक के पद सृजित करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में नवसृजित तहसीलों में नोटरी पब्लिक के पद सृजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	विधि एवं न्याय
श्री ललित फर्स्वाण 18.02.2015	5. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों / राजस्व उपनिरीक्षकों को स्थाई पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु डी0पी0सी का गठन लम्बे समय से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार डी0पी0सी0 गठन पर तत्काल कोई निर्णय ले रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 18.02.2015	6. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन लिफ्ट सिंचाई योजना जैगांव, दमराड़ा, तिमल्याणी, गंगाभोगपुरत, नैलगुजराडा, का निर्माण कार्य सन् 2012 से क्यों रोक दिया गया है ? क्या सरकार 2015 तक इन सभी योजनाओं से कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री विशन सिंह चुफाल 18.02.2015	7. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में निबन्धित कुल कितनी सहकारी समितियां (प्राथमिक, जिलास्तरीय एवं शीर्षस्थ) हैं और इनमें से कुल कितनी समितियों के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त निर्वाचन सम्पन्न करा लिए गए हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश की अनेक समितियां ऐसी हैं जिनमें संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के वर्षा के उपरान्त भी निर्वाचन नहीं कराये गये हैं और उनका संचालन प्रशासक द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी समितियों कौन कौन सी हैं ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?	सहकारिता
श्री विशन सिंह चुफाल 18.02.2015	8. क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि निबन्धक, सहकारी समितियों का कैम्प कार्यालय बिना प्रशासकीय स्वीकृति के देहरादून में स्थापित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस निमित्त दी गई प्रशासकीय स्वीकृति, देहरादून में कार्यालय हेतु भवन किराए पर लेने की स्वीकृति तथा किराये के अनुबन्ध पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?	सहकारिता
श्री विशन सिंह चुफाल 18.02.2015	9. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत का संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य सहकारी समितियों के निर्वाचनों के अधीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नामावलियां तैयार करने हेतु पृथक संस्था का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इन प्रकार गठित संस्था का स्वरूप क्या है तथा इस संस्था के पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें क्या है ? क्या मंत्री जी इन सबका विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?	सहकारिता

श्री विशन सिंह चुफाल 18.02.2015	10. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितियां के अधीन निर्वाचन कोष में दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को कितनी धनराशि उपलब्ध थी ? क्या यह सही है कि प्रदेश में सहकारी समितियों के निर्वाचन के अधीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन 22 मार्च, 2013 को कर दिया गया था ? यदि हां, तो निर्वाचन कोष में जमा धनराशि पूर्ण रूप से प्राधिकरण के खाते में स्थानांतरित न किये जाने के क्या कारण रहे और यह धनराशि कब तक प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सहकारिता**
श्री विशन सिंह चुफाल 18.02.2015	11. क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष को ''एम्बेस्डर' मेक का वाहन उपलब्ध कराया गयाहै जबकि समकक्षीय पदधारकों को 'इनोवा' अथवा 'हौण्डा सिटी' मेक के वाहन अनुमन्य है ? यदि हां, तो इस विसंगति का कारण क्या है तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी समकक्षीय पदधारकों के समान 'इनोवा' मेक का सरकारी वाहन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सहकारिता**
श्री राजकुमार ठुकराल 18.02.2015	12. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र 66 रूद्रपुर में वर्षों से वर्ग –4 की भूमि पर आवासित एवं कृषि कार्य कर रहे किसानों द्वारा संक्रमणीय अधिकार प्राप्त करने की मांग उठाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 18.02.2015	13. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सहसपुर का अधिकांश भाग वन क्षेत्रों से सटा होने के कारण आये दिन जंगली जानवरों जैसे कि हाथी, बाघ आदि का आतंक बना रहता है ? क्या सरकार जंगली जानवरों से जान–माल व फसलों की सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वन**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 18.02.2015	14. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि सितम्बर 2014 में अल्मोड़ा जिले में मछोड़ नामक एक नयी उप तहसील की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु वर्तमान तक भी उप तहसील मछोड़ अस्तित्व में नहीं आयी है और न उसके द्वारा कार्य आरम्भ किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र उप तहसील मछोड़ को धरातल पर अस्तित्व में लाते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों के नियुक्त कर कार्य आरम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 18.02.2015	15. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि 07 नवम्बर 2013 से अल्मोड़ा जिले में स्याल्दे नाम से स्वीकृत तहसील का कार्य विकासखण्ड कार्यालय भवन से बहुत की कम कर्मचारियों द्वारा चलाकर मात्र खानापूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्याल्दे तहसील के भवन का निर्माण कराने के साथ ही मानकानुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**

श्री राजकुमार ठुकराल 18.02.2015	16. **प्रथम मंगलवर के अता0 34 में स्थाना0** क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत रूद्रपुर में तहसील की स्थापना हो गई है तथा यहां कब तक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 19.02.2015	17. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट स्थित छमनियां में राज्य के उभरते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों के खेलने हेतु स्टेडियम न होने के कारण खिलाड़ियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा खिलाड़ियों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा स्टेडियम निर्माण किये जाने की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार छमनियॉ में स्टेडियम निर्माण कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**खेल**
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 19.02.2015	18. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत पेयजल एवं सिंचाई की समस्या को दूर करने हेतु कोलीढेक झील निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत होने के पश्चात अभी तक झील निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? क्या राज्य सरकार कोलीढेक झील का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री दलीप सिंह रावत 19.02.2015	19. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वन रही किल्बोखाल–टकोलीखाल मार्ग के विगत पांच वर्षों से अभी तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब/अनियमितताओं को जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री दलीप सिंह रावत 19.02.2015	20. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली ढोलखेतखाल–अमलेसा मार्ग के 01 कि0मी0 सड़क के निर्माण हेतु उक्त सड़क लो0नि0वि0 को अभी तक हस्तान्तरित न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त भूमि को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वन**
श्री ललित फर्स्वाण 19.02.2015	21. क्या विधि एवं न्याय मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट में सिविल जज अवर खण्ड की स्थापना हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा सं0 386/2013 से मा0 न्यायाधीश उत्तराखण्ड नैनीताल को पत्राचार करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**विधि एवं न्याय**
श्री ललित फर्स्वाण 19.02.2015	22. क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत के सभागार के निर्माण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा सं0 368/2013 से स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो शासनादेश कब तक जारी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**पंचायती राज**
श्री हरबंस कपूर 19.02.2015	23. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 16 जनवरी, 2015 को ग्रम फुलसैनी, देहरादून में गुलदार द्वारा एक दस वर्षीय बालक को अपना शिकार बनाया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस संबंध में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	**वन**

श्री हरबंस कपूर 19.02.2015	24. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम फुलसैनी, देहरादून में गुलदार द्वारा दस वर्षीय बालक को खा जाने वाली घटना स्थल के आस पास कहां कहां गुलदार की उपस्थिति पाई गई ? क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे सभी स्थानों पर सुरक्षा के उपाय किये गये थे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	वन
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 19.02.2015	25. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर विकास खण्ड द्वारीखाल के गहड़ गधेरा व विकासखण्ड यमकेश्वर के थलनदी पर दो झीलों का निर्माण पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से बरसाती पानी को रोकने का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो इस पर सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या इसको निर्माण करवाने में अब कितना समय और लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री मालचन्द 19.02.2015	26. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहरों को नई तकनीकी को अपनाते हुए पाईपों के माध्यम से भूमिगत नहरों का निर्माण शीघ्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	**सिंचाई**
श्री विशन सिंह चुफाल 20.02.2015	27. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गठित "सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" का स्वीकृत ढांचा क्या है तथा स्वीकृत पदो के विरूद्ध रिक्तियों को किस माध्यम से भरा गया है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?	**सहकारिता**
श्री विशन सिंह चुफाल 20.02.2015	28. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में दिनांक 22 मार्च 2013 को "सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" का गठन किया गया है ? यदि हां, तो प्राधिकरण का अधिसूचित मुख्यालय किस स्थान पर है तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष को क्या क्या सुविधायें अनुमन्य करायी गयी हैं तथा अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने की तिथि से 31 दिसम्बर, 2014 तक कितनी धनराशि वेतन तथा भत्तों के रूप में भुगतान की गयी है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?	**सहकारिता**
श्री विशन सिंह चुफाल 20.02.2015	29. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियों के देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में प्रदेश के जनपदों से कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी सम्बद्ध किए गए हैं तथा इनकी सम्बद्धता का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?	**सहकारिता**
श्री विशन सिंह चुफाल 20.02.2015	30. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां कलैन्डर वर्ष 2014 में कितने कार्यदिवसों को जनपद अल्मोड़ा स्थित मुख्यालय में उपस्थित रहे ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में निबन्धक तीस कार्यदिवस की अवधि से भी कम अवधि तक ही अल्मोड़ा में उपस्थित रह सकें ? यदि हो, तो इन परिस्थितियों में निबन्धक सहकारी समितियां का मुख्यालय अल्मोड़ा बनाये रखने का औचित्य क्या है ?	**सहकारिता**

श्री विशन सिंह चुफाल 20.02.2015	31. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां के अधीन मुख्यालय में तथा कैम्प कार्यालय में कितने सरकारी वाहन उपलब्ध हैं तथा ये वाहन किस किस अधिकारी से सम्बद्ध हैं तथा इन वाहनों पर कलैन्डर वर्ष 2014 में व्यय ईंधन के देयकों का कितना कितना भुगतान किस जनपद के कोषागार से किया गया है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?	सहकारिता
श्री राजकुमार ठुकराल 20.02.2015	32. **तृतीय शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0 03 में स्थाना0** क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 66 रूद्रपुर में स्थित पुरानी सब्जी मण्डी के दुकानदारों की दुकान की भूमि को फ्री होल्ड कराकर भूस्वामित्व दुकानदारों को दिये जाने हेतु कई वर्षों से मांग उठाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री राजकुमार ठुकराल 20.02.2015	33. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के जिला मुख्यालय ऊधमसिंहनगर सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के निरन्तर विकसित होने के उपरान्त भी उक्त क्षेत्र में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का अभाव है ? क्या उत्तराखण्ड सरकार रूद्रपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कालेज खोलने में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	तकनीकी शिक्षा
श्री दलीप सिंह रावत 20.02.2015	34. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में कुछ पटवारी चौकियों का निर्माण अधूरा हे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या संबंधित अधिकारी इसके दोषी हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 20.02.2015	35. क्या सिंचाई एवं बाढ सुरक्षा मंत्री अवगत हैं कि ठाकुरपुर (खैरी खुर्द) में सौंग नदी की बाढ से प्रा0 पाठशाला सहित अनेकों ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन का नुकसान हो रहा है व कुछ क्षेत्र की सुरक्षा भी खतरे में है ? यदि हां, तो सरकार कब तक सुरक्षा की कार्यवाही करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?	सिंचाई एवं बाढ सुरक्षा
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 21.02.2015	36. क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि दिल्ली व जन्य क्षेत्रों से ऋषिकेश आने वाले यात्रियों की जहरखुरानी के शिकार होने की संख्या बराबर बढती जा रही है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	गृह
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 21.02.2015	37. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की विधान सभा सहसपुर के अन्तर्गत कई नदियां व वन क्षेत्र से निकलने वाले कई बरसाती खाले हैं जो हर वर्ष बरसात के समय आबादी व कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त नदियों व खालों के दोनों ओर पक्के पुस्ते लगाये जाने प्रस्तावित है जिससे आबादी व कृषि योग्य भूमि को बरसात के पानी से बचाया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई

श्री दलीप सिंह रावत
21.02.2015

38. **मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।** वन

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत तहसील–लैन्सडौन, पौड़ी गढवाल के ग्रामीणों के खिलाफ वन विभाग द्वारा दर्ज किये गये कथित झूठे मुकदमे वापस लिए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
21.02.2015

39. **प्रथम गुरूवार के अता0 41 में स्थाना0** खेल

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में स्याल्दे नामक स्थान पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2011 से ही प्राप्त है और इसकी देख रेख व प्रशिक्षण देने हेतु भी प्रशिक्षक की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिनी स्टेडियम का शीघ्र निर्माण कर युवाओं को प्रशिक्षित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशन सिंह चुफाल
21.02.2015

40. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड कनालीछीना के ग्राम पंचायत उड़ई तक सरकार गैस आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **खाद्य**

श्री विशन सिंह चुफाल
21.02.2015

41. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के मुवानी लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई हो रही है ? यदि हां, तो कितने एकड़ में सिंचाई हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **सिंचाई**

श्री नवप्रभात
23.02.2015

42. **द्वितीय मंगलवार के अता0 16 में स्थाना0** नियोजन

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में निवास कर रहे परिवारों से "गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों" के चिन्हीकरण के क्या नियम हैं ? क्या प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक समान सूची प्रचलित है या अलग अलग विभाग (यथा शहरी विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, खाद्य, समाज कल्याण तथा स्वास्थ्य) आधारित मानकों की सूचियों के आधार पर बी0पी0एल परिवारों के लिए अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं ? क्या सरकार प्रदेश में एक समेकित बी0पी0एल0 सूची गठित करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री नवप्रभात
23.02.2015

43. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** वन

प्रथम सत्र 2013 के अल्पसूचित प्रश्न के कम में क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 के बीच वन पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रूपये 4564.5 लाख से कुल कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया ? क्या इस वृक्षारोपण में राज्य की वृक्षारोपण नीति का पालन सुनिश्चित किया गया ? यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का अस्थलीय निरक्षण एवं सत्यापन किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये गये पौधों के सफलता प्रतिशत का अस्थलीय निरीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो इस वृक्षारोपण का प्रजातिवार विवरण तथा इस अवधि में शेष रूपये 1256.00 लाख के प्रयोग का मदवार विवरण क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
23.02.2015

44. **प्रथम गुरूवार के अता0 42 में स्थाना0**

क्या युवा कल्याण मंत्री अवगत हैं कि अल्मोडा जिले की सल्ट विधान सभा में कितने युवक मंगल दलों व कितनी महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है उसका वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 का वर्षवार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह राशि क्या सभी महिला युवक मंगल दलों को देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री दलीप सिंह रावत
23.02.2015

45. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आपूर्ति की जा रही सस्ते गल्ले के खाद्यान्न को क्या सस्ते गल्ले की दुकान में आपूर्ति करने हेतु क्या विक्रेता को पूर्ण माप तोल कर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

श्रीमती अमृता रावत
23.02.2015

46. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 3743/मंत्री/8–सिंचाई/2013–14 दिनांक 05.09.2013 के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड रामनगर के पत्रांक 2403/न0ख0रा0/एम–10 दिनांक 20.09.2013 के द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्मित योजनाओं की कार्यप्रगति की जानकारी उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भित पत्र में वर्णित योजनाओं की कार्यप्रगति के अद्यतन स्थिति क्या है तथा इन योजनाओं से काश्तकारों को सिंचाई सुविधा मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

सिंचाई

श्री विशन सिंह चुफाल
23.02.2015

47. क्या सिचांई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के गोरी नदी के बहाव से वर्ष 2013 से लगातार ग्राम–जुगुडा के नाप भूमि कटने से गांव को खतरा बना हुआ है ? क्या सरकार नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने पर कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई

श्री चन्द्रशेखर
23.02.2015

48. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के घाट क्षेत्र की क्षेत्रीय जनता द्वारा कई वर्षों से बुग्गावाला को तहसील बनाने की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम बुग्गावला को तहसील बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व

श्री संजय गुप्ता
23.02.2015

49. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर बनाने को अपना भू–खण्ड नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास उन गरीब लोगों को भूखण्ड देने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व

श्री यतीश्वरानन्द
24.02.2015

50. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम मिस्सरपुर, पन्जनहेडी, अजीपुर, जियापोता, कटारपुर, बिशनपुर, बिशनपुर कुण्डी, रानीमाजरा, शाहपुर, टाण्डभगमल, भोगपुर आदि गांवों के किसानों के खेतों में गंगाजी की ओर से प्रत्येक दिन काफी मात्रा में हाथियों का झुण्ड घुस जाता है तथा सारी फसलों को तहस नहर कर देता है ? यदि हां, तो उक्त सभी गांव के किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिये क्या सरकार स्थाई कार्य कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री महावीर सिंह रांगड़ 24.02.2015	51.	क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग उत्तरकाशी की विभिन्न नहरें वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में दैवीय आपदा एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गयी थी ? क्या सरकार ने सिंचाई विभाग उत्तरकाशी को इन नहरों के पुर्न निर्माण करवाने के लिए धन आवंटन किया है ? यदि हां, तो नहरों का पुर्ननिर्माण किया गया है ? यदि पुर्ननिर्माण नहीं किया गया तो सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री पुष्कर सिंह धामी 24.02.2015	52.	क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत हुए शुभम हत्या काण्ड पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?	**गृह**
श्रीमती अमृता रावत 24.02.2015	53.	क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत सिचांई योजनाओं के निर्माण हेतु नाबार्ड से धनराशि उपलब्ध करवाने के संबंध में मा0 मंत्री के पत्रांक 2112/पी0एस0/12 दिनांक 7/12/2012 तथा रामनगर में 41 नलकूप अधिष्ठापित किये जाने के संबंध में पत्रांक 2113/पी0एस0/12 दिनांक 7/12/2012 के द्वारा सचिव सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने की जानकारी दी गई है ? यदि हां, तो सचिव, सिंचाई विभाग द्वारा उक्त संदर्भित प्रकरणों पर की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कब तक प्रस्तावित योजनाओं का निर्माण किया जायेगा ?	**सिंचाई**
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 21.02.2015	54.	क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि 1984 दंगों के दौरान प्रदेश के देहरादून, ऋषिकेश व अन्य क्षेत्रों में सिक्ख समुदाय की जन धन की भारी हानि हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**गृह**

नत्थी "घ"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 19 से 21 मार्च, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत रुप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च 2015
19 गुरूवार

अनुदान संख्या	05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15मिनट)**
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**
अनुदान संख्या	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**
	18	सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
	20	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**
अनुदान संख्या	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)
अनुदान संख्या	19	ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**
	25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
अनुदान संख्या	26	पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**
अनुदान संख्या	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।**(15 मिनट)**
	27	वन विभाग की अनुदान पर मॉग, चर्चा और मतदान **(15 मिनट)**
अनुदान संख्या	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट**
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

मार्च, 2015
20 शुक्रवार

अनुदान संख्या	28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान(15 मिनट)	
अनुदान संख्या	16	श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान(15 मिनट)	
अनुदान संख्या	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	03	मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।(15 मिनट)	––
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।(15 मिनट)	––
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	––
	15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान (15 मिनट)	––
	21	उर्जा विभाग एवं वैकल्पिक उर्जा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	––
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान(15 मिनट)	––
	23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।(15 मिनट)	––
	24	परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान(15 मिनट)	––

नत्थी–''घ''

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनॉक 19 जुलाई, 2016 की बैठक में दिनॉक 21 तथा 22 जुलाई, 2016 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

जुलाई, 2016

21 गुरूवार

(1) औपचारिक कार्य।

(2) 1. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

2. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार। (30मिनट)

3. उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 के विचार एवं पारण। (30 मिनट)

4. उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 के विचार एवं पारण। (30 मिनट)

22 शुक्रवार

(1) विधायी कार्य।

(2) असरकारी कार्य (आधा दिवस)

1. असरकारी संकल्प

(1) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

(2) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति ''यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये ''गंगा विकास प्राधिकरण'' की भांति ''यमुना विकास प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाय।''

(3) श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जाये।''

(4) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय

बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।''

(5) श्री महावीर सिंह रांगड, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।''

(6) श्री पुष्कर सिंह धामी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।"

(7) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"

(8) श्री विशन सिंह चुफाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

2. <u>नियम–105 के प्रस्ताव</u>

(1) श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:–

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:–

"राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों / मेयर/ अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।"

(3) श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने कि लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।"

(4) श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे–छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।"

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। "

3. नियम–54 की सूचना

(1) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

(2) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

(3) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

''उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।''

(4) डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर :–

''राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं, जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही हैं, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।

(5) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी"

(6) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय"

(7) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट / सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।"

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

3–विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार और पारण ।**(15 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

4–विगत सत्र के सरकारी संकल्प

1. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा :–

"राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।"

2. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा –

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभा वर्गो के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

मार्च, 2015
21 शनिवार

असरकारी कार्य

विगत सत्र के असरकारी संकल्प

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचारः–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।" **(15 मिनट)**

2. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचारः–

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।" **(15 मिनट)**

3. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा –

"सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय।" **(15 मिनट)**

दिनांक 17.03.2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पों पर चर्चा –

1. श्री महावीर सिंह रांगड़ — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर कियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।" **(15 मिनट)**

2. श्री चन्दन राम दास, — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्व नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ निर्मल बनाये जाने के लिये सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।"**((15 मिनट)**

3. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गांवों जिनमें उत्तराखण्डवासियों की जनसंख्या अधिक हो, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर दिये जाये।**(15 मिनट)**

4. श्री बिशन सिंह चुफाल, — 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें। **(15 मिनट)**

5. श्री मदन कौशिक, — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जायें।**(15 मिनट)**

विगत सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव

1. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।" **(15 मिनट)**

2 श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–

'राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/ अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।" **(15 मिनट)**

वर्तमान सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें।" **(15 मिनट)**

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा –

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने कि लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।"**(15 मिनट)**

विगत सत्र के नियम–54 की सूचना

1– श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।" **(15 मिनट)**

2– श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।" **(15 मिनट)**

3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा।

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।" **(15 मिनट)**

4 श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा ।

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005–25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्वात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005–2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:–

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गटन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्त्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।" **(15 मिनट)**

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।" **(15 मिनट)**

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा एवं विचार:–

"प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग–अलग बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग–अलग सूची से भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहें है। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाय तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हों।" **(15 मिनट)**

7. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा–

"राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी है जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही है, जिस पर उन्होने अपने रिहायशी मकान बनाये है।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में है। ये बस्तियां नदियों के किनारें, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी है।
कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते है। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।" **(15 मिनट)**

वर्तमान सत्र के नियम–54 की सूचना

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"**(15 मिनट)**

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा ।

"प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"**(15 मिनट)**

3. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा ।

"प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।" **(15 मिनट)**

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा।

"प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से नाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।"**(15 मिनट)**